न्यायालय – सिविल न्यायाधीश, जैतारण जिला – पाली

पीठासीन अधिकारी : **रजनी मीणा, आर.जे.एस.**

दीवानी मूल वाद संख्या : 48 सन् 2021

वादी :–

1. संतोकराम पुत्र घेवरराम, जाति नाई, निवासी आ. कालू, तहसील जैतारण, जिला–पाली।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. जिला कलक्टर महोदय, पाली,
2. तहसीलदार महोदय, तहसील कार्यालय, जैतारण, जिला पाली।
3. पटवारी महोदय, पटवार हल्का, आ. कालू, तहसील जैतारण, जिला–पाली।

दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा मेण्डेटरी एवं प्रोहिबिटरी

उपस्थित :–

1. श्री देवाराम कटारिया, विद्वान अधिवक्ता वादी की ओर से।
2. श्री सोमाराम चौधरी, अपर लोक अभियोजक प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की ओर से ।

निर्णय **दिनांक : 30.07.2022**

1. वादी की ओर से प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा मेण्डेटरी एवं प्रोहिबिटरी पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आबादी मौजा ग्राम आ. कालू तहसील जैतारण जिला पाली राज. में वादी का पैतृक पुश्तैनी प्लॉट मय केबीन आया हुआ है, जिसमें वादी मय परिवार बिना किसी रोकटोक के व्यवसाय कर अपना जीवन–यापन करते आ रहे हैं। जिसके पड़ोसान निम्न प्रकार हैं :–

उत्तर में – रास्ता व निकाल

दक्षिण में – गांवाई नाला

पूर्व में – तेजाराम कमेडिया की दुकान

पश्चिम में – ओमप्रकाश की दुकान

उक्त पड़ौसान के बीच का आबादी प्लॉट मय केबीन वादी का आया हुआ है, जो मार्क ए, बी, सी, डी वादी का प्लॉट मय केबीन दर्शाया गया है। उक्त प्लॉट मय केबीन वादी के दादा–परदादा से बतौर उत्तराधिकारी वादी को प्राप्त हुआ है, जिसमें वादी का पुश्तैनी केबीन बना हुआ है व उसके स्वयं के नाम से बिजली–पानी के कनेक्शन ले रखे हैं। उक्त प्लॉट मय केबीन खसरा नं. 837 में आयी हुई है तथा उक्त

खसरे में आबादी बसी हुई है तथा मुख्य बस स्टेण्ड, सरकारी पशु चिकित्सालय, सरकारी विद्यालय, कॉपरेटिव बैंक, एसबीआई बैंक, पंचायत की ओर से केबीनें, गांवाई धर्मशाला आदि वर्षों से बने हुए हैं, जो कि आबादी के बीचों बीच बनी हुई है व ग्राम पंचायत की अनुमति से वर्षों पुरानी दुकान निर्माण करवा रखी है एवं कई लोगों को निःशुल्क पट्टे भी आंवटित हो रखे हैं। कुछ लोग जो कि राजनैतिक द्वेषतावश प्रतिवादीगण को झूठी शिकायतें करते हैं, राजस्व रिकॉर्ड में आबादी की जगह गौचर व रास्ते का एवं अन्य प्रयोजनार्थ रोंग एंटी का फायदा उठाकर शिकायतें करते रहते हैं, जबकि वहां गोचर भूमि व रास्ता न होकर आबाद प्लॉट मय केबीन है। कुछ दिनों पूर्व प्रतिवादीगण ने वादी को बेदखल करने की गलत विधिक प्रक्रिया अपनाकर बेदखल करने का नोटिस भी दिया, जिस पर संपूर्ण आबादी वाले उपखंड अधिकारी जैतारण को ज्ञापन भी दिया, लेकिन प्रतिवादीगण ने भौतिक सत्यापन किए बिना वादी का अवैध अतिक्रमण बताकर बेदखली का नोटिस लगातार निकालते आ रहे हैं, जिससे वादी जो गरीब व्यक्ति है, जिन्हें प्रतिवादीगण तंग व परेशान करते रहते हैं। सबकुछ दस्तावेज पेश करने के बावजूद भी एवं समस्त दुकान के फोटो, बिजली व जल के बिल व पक्की दुकान का निरीक्षण करने के बाद भी प्रतिवादीगण उनके अधीनस्थ कर्मचारियों ने दिनांक 25.02.2021 को वादी को बेदखल करने का नोटिस दे दिया व पेश होने पर ऐलानिया धमकी दी कि हम तुम्हें जमीन से बेदखल कर देंगे। उक्त प्लॉट मय केबीन उसको पुश्तैनी प्राप्त हुई है तथा करीब 100 वर्षों से भी अधिक समय से काबिज है। प्रतिवादीगण राज्य सरकार के प्रतिनिधि हैं, जिनके विरुद्ध वादपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व दो माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक है, परंतु वादपत्र अति आवश्यक प्रकृति का होने से तथा नोटिस देने में समय लगेगा, तब तक प्रतिवादीगण वादीगण को उनके पैतृक पुश्तैनी प्लॉट मय केबीन को तोड़ देंगे एवं उन्हें बेदखल कर देंगे, इसलिए नोटिस दिया जाना डिस्पेन्थविद किया जाकर न्यायालय में पेश है।

अंत में वादी ने प्रतिवादीगण व उनके अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारी, नौकर–चाकर, हाली एजेंट आदि किसी प्रकार से बाधा अड़चन व्यवधान दखलंदाजी तोड़फोड़ इत्यादि नहीं करे जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के वास्ते रोका जावे। वादी की पैतृक पुश्तैनी प्लॉट मय केबीन में किसी प्रकार की तोड़फोड़ आदि कर देवे एवं वादी को उनके कब्जे से बेदखल कर देवे तो प्रतिवादीगण के खर्चे से वादपत्र प्रस्तुति के पूर्व की स्थिति को जरिये मेण्डेटरी एवं प्रोहिबिटरी निषेधाज्ञा के बहाल करवायी जावे।

2. प्रतिवादीगण द्वारा वादपत्र का जवाबदावा पेश कर निवेदन किया कि राजस्व मौजा बस्सी पटवार हल्का आ. कालू द्वितीय तहसील जैतारण में स्थित खसरा नं. 837 रकबा 25 बीघा 07 किस्म गै.मु. रास्ता की राज्य सरकार की गै.मु. रास्ता हेतु रखी गई भूमि है, जिसके दस्तावेजी सबूत के रूप में चौसाला जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 संलग्न है। मौजा बस्सी में स्थित खसरा नं. 837 रकबा 25 बीघा किस्म गै.मु. रास्ता की

राज्य सरकार की गै.मु. रास्ता हेतु रखी गई भूमि पर समय समय पर अतिक्रमियों द्वारा किए गए अतिक्रमण हटाने बाबत् राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार एवं समय समय पर जारी परिपत्रों की पालना में भूमिधारी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि तहसीलदार जैतारण की ओर से अतिक्रमी व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान अनुसार प्रकरण पंजीबद्ध किए जाकर विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए अतिक्रमी व्यक्ति को अपना अतिक्रमण हटाने हेतु नोटिस जारी किए जाकर बाद सुनवाई के नियमानुसार अतिक्रमियों पर जुर्माना आरोपित करते हुए अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया जाता रहा है। जिस पर अतिक्रमण कर लेने पर हल्का पटवारी द्वारा बाद जांच के अतिक्रमण बाबत् अपनी रिपोर्ट तहसील कार्यालय में पेश करने पर सक्षम अधिकारी नायब तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रकरण संख्या 482/2020 दर्ज करते हुए भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत वादी संतोकराम को सुनवाई का अवसर देने के उपरांत उक्त वादी संतोकराम का अतिक्रमण साबित होना पाया जाने से उसके विरुद्ध नियमानुसार बेदखली के आदेश पारित किए गए हैं व इसकी पालना करवाने बाबत् सक्षम उत्तरदायी व्यक्ति को निर्देशित किया जा चुका है एवं अतिक्रमित व्यक्ति स्वयं द्वारा इस बाबत् जुर्माना राशि भी दिनांक 25.03.2020 व 19.03.2020 को जमा करवायी जा चुकी है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि कोई भी अतिक्रमी व्यक्ति भू–स्वामी के विरुद्ध स्थगन का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं हे। इस प्रकरण में तो विधिक प्रक्रिया अनुसार अतिक्रमी व्यक्ति को गै.मु. गौचर से बेदखल किए जाने बाबत् आदेश दिनांक 09.03.2021 को जारी हो चुके हैं। इस प्रकार से ऐसे बेदखली आदेश के विरुद्ध भी वादी संतोकराम किसी भी प्रकार का अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं होने से वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र काबिल खारिज है। वादी ने जो पट्टा विलेख का हवाला दिया है वह कतई कूटरचित व फर्जी दस्तावेज है, जिसके बाबत् ग्राम पंचायत आ. कालू से जानकारी ली गई तो ज्ञात हुआ कि उक्त पट्टा विलेख ग्राम पंचायत से जारी हुआ ही नहीं, न ही इसकी कोई पत्रावली है, जिसके संबंध में पृथक् से दांडिक कार्यवाही भी की जायेगी, इस पट्टा विलेख में ग्राम सेवक व पदेनसचिव विकास अधिकारी एवं पटवारी के रूप में एक ही व्यक्ति के हस्ताक्षर किए है, जो शून्य दस्तावेज की श्रेणी में आता है। वादी द्वारा राजस्व मौजा आ.कालू में सिवाय चक भूमियों पर किए गए इस अवैध अतिक्रमणों बाबत् राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष रिट पीटिशन नं. 3629/2021 अनवान तुलछाराम व अन्य बनाम राजस्थान सरकार पेश होकर दिनांक 01.04.220 को माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण ने आदेश पारित करते हुए इस बाबत् बेदखली से संबंधित आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश पारित किए, जिसमें खण्डपीठ रिट पिटिशन संख्या 10819/2018 जगदीश प्रसाद मीणा व अन्य बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेशा की पालना के अनुसार आदेश दिया गया। इस प्रकार से खसरा नम्बर 837 रकबा 25 बीघा किस्म गै.मु. रास्ता की भूमि पर वादी

अतिक्रमी को कोई स्वामित्व व हक अधिकार प्राप्त नहीं है। तथा वादी का अतिक्रमण काबिल बेदखली के होने से भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत आवश्यक कार्यवाही कर वादी के विरुद्ध बेदखली आदेश पारित हो चुके है। दिनांक 26.02.2021 का उल्लेख वादी ने वादपत्र पेश करने की गरज से झूठा अंकित किया है। वादी द्वारा किए गए अतिक्रमण बाबत् हल्का पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट पेश होने पर दिनांक 23.07.2021 को नियमानुसार पत्रावली कायम कर विधिक प्रक्रिया को अपनाते हुए भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत आवश्यक कार्यवाही कर वादी के विरुद्ध बेदखली आदेश पारित हो चुके हैं। अतः जवाब दावा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र संव्यय खारिज योग्य होने से खारिज फरमावे।

3. पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किए गए :–

1. आया वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण वादपत्र के मद संख्या 01 में वर्णित पड़ोसान के बीच में प्लॉट मय केबीन जो नजरी नक्शे में पीले रंग में दर्शाये हैं, उक्त प्लॉट मय केबीन खसरा संख्या 837 में आई हुई है। उक्त संपत्ति पर वादी पुश्तैनी समय से काबिज है एवं उपयोग–उपभोग कर रहा है, जिस पर प्रतिवादीगण बेदखल करने पर आमादा होने से वर्णित स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है?

——— वादी

2. आया वाद गै.मु. गौचर खसरा नं. 837 रकबा 25 बीघा किस्म गै.मु. रास्ता की भूमि पर वादी अतिक्रमी को कोई स्वामित्व व हक अधिकार प्राप्त नहीं होने एवं भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत वादी के विरुद्ध बेदखली आदेश पारित होने से वादपत्र में वर्णित अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से वादपत्र खारिज किए जाने योग्य है?

——— प्रतिवादीगण

3. अनुतोष

4. कायम की गयी तनकीयात के आधार पर उभय पक्षकारान पर साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया गया, परन्तु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद साक्ष्य पेश नहीं करने पर दिनांक 27.06.2022 को वादी की साक्ष्य बंद की गयी और प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य पेश नही करना चाहा जिस पर दिनांक 14.07.2022 को प्रतिवादीगण की साक्ष्य बंद की गयी।

उभय पक्षकारान की बहस अंतिम सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया। न्यायालय द्वारा विरचित विवाद्यकों पर न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

विवाद्यक संख्या – 1

05. उक्त विवाद्यक को साबित करने का भार वादी पर है। वादी की ओर से प्रकरण में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है। न्यायालय के विनम्र मत में वादी वाद का स्वामी होता है तथा वादपत्र में वर्णित तथ्यों को साबित करने का भार वादी पर ही होता है। हस्तगत वाद में साक्ष्य के अभाव में वादी वादपत्र के अभिवचनों को साबित नहीं कर सका है। अतः वादी न्यायालय से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः विवाद्यक संख्या 1 वादी के विरूद्ध तय किये जाते है।

विवाद्यक संख्या – 2

06. उक्त विवाद्यक को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण की ओर से भी प्रकरण में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है। अतः साक्ष्य के अभाव में उक्त विवाद्यक प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय किए जाते है।

07. उपरोक्त विवेचन के अनुसार विवाद्यक संख्या 1 वादी के विरूद्ध तथा विवाद्यक संख्या 2 प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय किये जाते है। अतः हस्तगत प्रकरण को निम्न प्रकार से निस्तारण किया जाना उचित प्रतीत होता है।

:: आ दे श ::

08. वादी संतोकराम पुत्र घेवरराम, जाति नाई, निवासी आ. कालू, तहसील जैतारण, जिला–पाली की ओर से प्रतिवादीगण के विरुद्व प्रस्तुत वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा मेण्डेटरी एवं प्रोहिबिटरी उपरोक्तानुसार अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। खर्चा उभय पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री मुर्तिब हो।

खर्चा मुकदमा पक्षकारान स्वयं ही वहन करेंगे।

तदनुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो।

(रजनी मीणा)
सिविल न्यायाधीश, जैतारण
जिला पाली

09. निर्णय आज दिनांक 30.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रजनी मीणा)
सिविल न्यायाधीश, जैतारण
जिला पाली